53 rd meeting of

National Development Council

29 th May, 2007

NEW DELHI

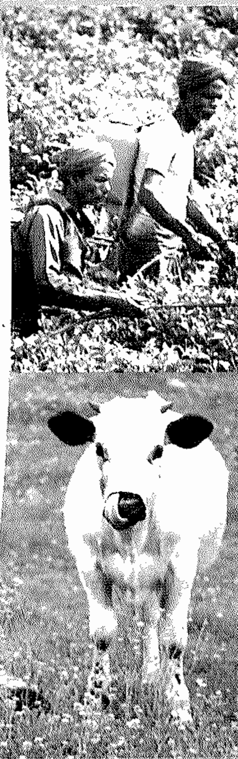

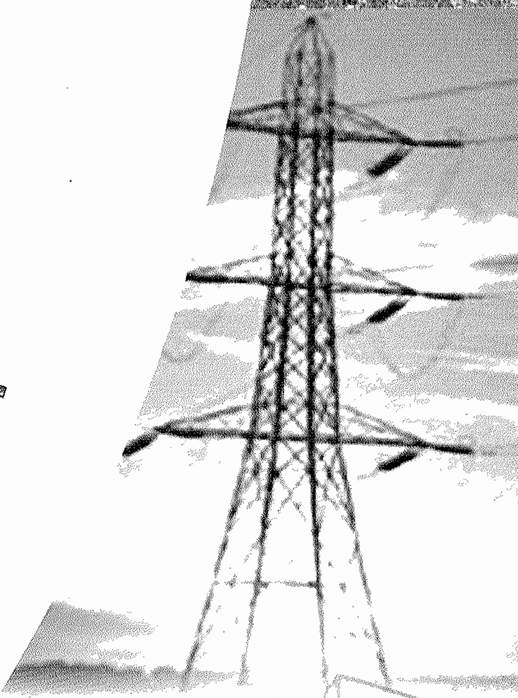

Speech of

Sri Nitish Kumar

Chief Minister

Government of Bihar

माननीय प्रधानमंत्री जी, केन्द्रीय मंत्रिपरिषद् के सदस्यगण, उपाध्यक्ष, योजना आयोग, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रिगण, देवियों और सज्जनों

मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने कृषि और खाद्य सुरक्षा के मामले पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद् की विशेष बैठक बुलाई है। मैं श्री शरद पवार, माननीय कृषि मंत्री की अध्यक्षता में गठित उप समिति के सभी सदस्यों को बधाई देता हूँ जिन्होंने कृषि प्रक्षेत्र के सभी पहलुओं पर विचार करके अपना विस्तृत प्रतिवेदन इस परिषद् के विचार एवं निर्णय हेतु समर्पित किया है ।

हम वैसे वक्त पर मिल रहे हैं जब हमारी अर्थव्यवस्था का मूलाधार यानि कृषि एक चौराहे पर है और देश की खाद्य सुरक्षा के संबंध में हमारी गंभीर चिन्ताएँ हैं। कृषि प्रक्षेत्र हाल के वर्षों में फसल उत्पादन की दृष्टि से संकटग्रस्त रहा है जब इसके विकास की दर घटकर ऋणात्मक हो गई। बिहार की स्थिती भी लगभग वैसी ही रही है। हालाँकि पिछले वर्ष फसलों के उत्पादन की वृद्धि दर बढ़ी है, जिससे हमारी आशायें जगी हैं। हमें उम्मीद है राष्ट्रीय विकास परिषद् की यह बैठक इस दिशा में कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने की दृष्टि से ऐतिहासिक साबित होगी ।

11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए योजना आयोग द्वारा तैयार किये गये एप्रोच पेपर में जी० डी० पी० के विकास की दर 9 प्रतिशत निर्धारित की गयी है जिसकी

प्राप्ति के लिए कृषि प्रक्षेत्र में 4.1 प्रतिशत की वृद्धि दर आवश्यक है । बिहार के लिए योजना आयोग की अपेक्षा है कि कृषि के विकास की दर 7 प्रतिशत हो । डॉ० एम० एस० स्वामीनाथन की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय किसान आयोग का मानना है कि पूर्वी क्षेत्र देश के लिए अनाज के गोदाम का काम कर सकता है। योजना आयोग के एप्रोच पेपर में भी इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि कृषि का विकास अब परम्परागत क्षेत्रों में न होकर भौगोलिक दृष्टि से सुदृढ़ अन्य क्षेत्रों में होगा । हमें इस तथ्य को कदापि नजर अंदाज नहीं करना चाहिए । अल्पकालिक और दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य में भी देश के खाद्य सुरक्षा की कुँजी है - बिहार में आधारभूत संरचनाओं विशेषकर ऊर्जा, सड़क और सिंचाई क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश ।

परिषद् की उप समिति की रिपोर्ट में समुचित निवेश से बिहार की उत्पादकता में 25 प्रतिशत की वृद्धि की बात कही गयी है । हमारी सरकार ने इस तथ्य को ध्यान में रखकर कृषि प्रक्षेत्र में व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि की है जिसके फलस्वरुप 2004-05 के 48.00 करोड़ और 2005-06 के 30.00 करोड़ की तुलना में 2006-07 में 122.00 करोड़ का व्यय किया गया है । चिन्ता का विषय यह है कि उक्त व्यय में भारत सरकार की सहभागिता घटती गयी है, जो 2004-05 के 40 प्रतिशत के घटकर अब करीब 8 प्रतिशत हो गयी है । राज्य सरकार के वित्तीय संसाधन ऐसे नहीं है कि कृषि क्षेत्र में निवेश की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। डब्ल्यू० टी० ओ० के चलते इस क्षेत्र में जो चुनौतियाँ सामने आयी हैं उनका सामना करने के लिए कृषि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर और गुणवत्तापूर्ण निवेश की जरुरत है जो केन्द्र सरकार से ही आ सकती है । इस संबंध में उप समिति की अनुशंसा है कि अतिरिक्त निवेश को केन्द्र और राज्य सरकारें बराबर-बराबर वहन

करे; इस अनुशंसा को लागू किया जाना कृषि प्रक्षेत्र के लिए निश्चित तौर पर घातक होगा । इस संबंध में मेरी अनुशंसा होगी कि मैक्रो मोड प्रोजेक्ट की तर्ज पर यह अनुपात 90:10 ही रखा जाय ।

उप समिति ने अन्य कई अनुशंसाएँ की हैं जिनके देश में कृषि के विकास के लिए दूरगामी परिणाम होंगे । मोटे तौर पर हम उन अनुशंसाओं का समर्थन करते हैं लेकिन हम उसमें कुछ सुझाव भी देना चाहते हैं।

विभिन्न क्षेत्रों की क्षमताओं के दोहन के लिए कृषि के विकास हेतु क्षेत्रवार कार्य योजना बनाना आवश्यक है परन्तु उप समिति ने योजना की प्रक्रिया के बारे में अपनी कोई अनुशंसा नहीं दी है । हम यह महसूस करते हैं कि माइक्रो क्रॉप प्लॉन जिसके तहत हर किसान के लिए अलग योजना को आधाार बनाकर 60 के दशक में अच्छे परिणाम मिले थे, को 11वीं योजना के तहत नई कार्य योजना का महत्वपूर्ण अंग बनाया जाना चाहिए ।

टेक्नोलॉजी के हस्तांतरण के विषय पर परिषद् की उप समिति की अनुशंसा सामयिक है परन्तु उनके द्वारा दिये गये सुझावों पर नये सिरे से विचार की जरुरत है । कृषि प्रसार की प्रणाली क्रमश: कमजोर होती गयी है और कई प्रकार के मॉडल यथा 'सामुदायिक विकास प्रखंड', 'ट्रेनिंग एंड विजिट' और 'आत्मा (ATMA)' साथ-साथ चल रहे हैं । समुचित प्रशिक्षण प्राप्त मानव बल का उपयोग कर प्रसार प्रणाली को पुन: जीवंत बनाने की जरुरत है जिसमें सभी मॉडल की अच्छाईयों को शामिल कर एक समन्वित मॉडल बनाया जाय । हमारी सरकार ने अपने संसाधनों का उपयोग कर

सभी जिलों में आत्मा को स्थापित किया है; भारत सरकार को कृषि प्रसार-प्रणाली के तार्किकीकरण पर होने वाले व्यय में हिस्सेदारी करनी चाहिए ।

फसलों के उत्पादन, विशेषकर खाद्य फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सीड रिप्लेशमेंट दर को बढ़ाना अत्यावश्यक है । उप समिति द्वारा इस संबंध में की गयी अनुशंसायें पर्याप्त नहीं हैं । बीज के विकास, गुणन और प्रसंस्करण हेतु आधारभूत सरंचना के विकास के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की जरुरत है । प्राकृतिक आपदा के कुप्रभावों को कम करने के लिए सीड बैंकों की स्थापना बहुत जरुरी है और इसके लिए सार्वजनिक क्षेत्र में वृहत् निवेश अपेक्षित है । फसल की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरुप बीजों का विकास किया जाना अत्यावश्यक है । उदाहरण के लिए बिहार में जाड़े के मौसम की अवधि छोटी है और गेहूँ की ऐसी किस्म जो 100 दिनों के अंदर तैयार हो जाय, गेहूँ के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है । उसी प्रकार, कम अवधि की धान की किस्में जो धान-गेहूँ के फसल चक्र के अनुकूल हो, का विकास भी आवश्यक है । कृषि अनुसंधान और किसानों की आवश्यकताओं में मेल हो इसके लिए संस्थागत व्यवस्था विकसित करने की जरुरत है । पूरे विश्व में मौसम में जो परिवर्त्तन हो रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए यह और महत्वपूर्ण हो गया है ।

आधुनिक कृषि के लिए खाद एक आवश्यक इनपुट है । खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो इस माँग के लिए मैं इस फोरम का इस्तेमाल करना चाहता हूँ । फॉस्फोरिक और पोटाशिक खादों के बारे में अनिश्चितता बनी हुई है । इन खादों की आवश्यकता बुआई के समय ही होती है । अत: उनके आवंटन को पूरी फसल अवधि

के लिए बाँट कर निर्धारित किये जाने का कोई औचित्य नहीं है । माननीय उर्वरक और रसायन मंत्री ने राज्य के कृषि मंत्रियों की बैठक में हर जिले में गोदाम और बफर स्टॉक बनाने तथा डीलर्स के नेटवर्क का विस्तार करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया था; यह खेदजनक है कि उर्वरक कम्पनियों ने इस अच्छी पहल को लागू नहीं किया है ।

जमीन की उर्वरता बनाये रखना फसल उत्पादन में सतत् वृद्धि के लिए आवश्यक है । परिषद् की उप समिति द्वारा इस संबंध में दिये गये सुझावों से देश में समेकित पोषक तत्व प्रबंधन को बल मिलेगा लेकिन साथ ही साथ हमें मिट्टी जाँच के लिए आधारभूत संरचना में समुचित निवेश और जैविक खादों की आपूर्त्ति सुनिश्चित करने की कार्रवाई करनी होगी ।

बिहार में खेती की बदहाली कई कारणों से हुई है । आधारभूत संरचना में न्यून सार्वजनिक क्षेत्र निवेश के चलते अनुकूल प्राकृतिक संसाधनों से अपेक्षित पूरा लाभ नहीं मिल सका है । हिमालय की नदियों से होने वाले बाढ़ के चलते उत्तर बिहार में जीवन और फसलों की भारी बर्वादी होती है । इस समस्या का निदान भारत सरकार के स्तर पर करने की जरुरत है क्योंकि इन नदियों का उद्गम स्थल नेपाल है । राज्य सरकार की इस संबंध में अत्यंत सीमित भूमिका है । इसलिए यह आवश्यक है कि सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, सड़क और ऊर्जा क्षेत्रों में केन्द्रीय सहायता की राशि बढ़ायी जाय ।

राज्य के अंदर नदी घाटियों को जोड़ने संबंधी उप समिति के सुझावों का हम तहेदिल से स्वागत करते हैं क्योंकि बिहार के परिप्रेक्ष्य में इसकी प्रासंगिकता है । उत्तर

बिहार में अतिरेक जल है जबकि दक्षिण बिहार को जल की कमी झेलनी पड़ती है। इसलिए राज्य के अंदर नदियों को जोड़ने से पूरा राज्य लाभान्वित होगा। यह एक बड़ी परियोजना होगी और इसके लिए उदार केन्द्रीय सहायता की आवश्यकता होगी। चूँकि बिहार बाढ़ग्रस्त है और बाढ़ की विभीषिका का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए काफी संसाधनों की जरुरत होती है, भारत सरकार को व्यय का कम से कम आधा हिस्सा वहन करना चाहिए।

हिमालय से निकलने वाली अधिकांश नदियों में सिल्ट जमा हो गया है जिसके चलते नदी की सतह उपर उठ गयी है। गंगा और उत्तर बिहार की अन्य नदियों को गहरा करने के लिए एक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है। भारत सरकार को भी इस परियोजना में हिस्सेदारी के लिए आगे आना चाहिए क्योंकि इससे उत्तर बिहार के नौ लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को लाभ होगा।

लघु सिंचाई के क्षेत्र में मैं भारत सरकार की 'कृषि से सीधे जुड़े हुए जल क्षेत्रों की मरम्मती, पुनरुद्धार और पुनर्स्थापन की राष्ट्रीय परियोजना' की पायलट स्कीम की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। इस संबंध में यह सूचित करना है कि दक्षिणी और केन्द्रीय बिहार के बड़े हिस्से में समेकित सिंचाई और जल निकासी की पारम्परिक प्रणाली है जो मौर्य काल में भी थी जैसा कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लेख है। 'आहर' और 'पईन' के प्रचलित नाम वाले इन जल क्षेत्रों के पुनर्स्थापन की लागत अन्य योजनाओं से बहुत कम है। अनुमान है कि 1500 करोड़ रुपयों के निवेश से सिंचाई की इन पारम्परिक प्रणालियों के पुनर्स्थापन और

पुनर्वास से 4.5 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित हो सकती है । पायलट स्कीम तक सीमित न रखकर इस योजना को 11वीं पंचवर्षीय योजना के अवधि में सभी जल क्षेत्रों को शामिल करने की कार्रवाई की जानी चाहिए । निजी नलकूपों की योजना के कार्यान्वयन हेतु इसी प्रकार की केन्द्रीय सहायता की जरुरत है क्योंकि बैंक द्वारा वित्त पोषित और सब्सिडी की वर्त्तमान योजना लघु और सीमांत कृषकों, जो बिहार के बहुसंख्यक खेतिहर समुदाय हैं, के लिए बहुत आकर्षक नहीं है । इस संदर्भ में मैं राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की डिजाईन की खामियों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ । योजना में केवल सिंगल फेज कनेक्शन का प्रावधान है । अगर पूर्वी भारत में भू-गर्भ जल के उपयोग को बढ़ावा देना है तो तीन फेजों का विद्युतीकरण आवश्यक है भले ही इसकी व्यवस्था एक अलग फीडर के माध्यम से की जाय ताकि सिंचाई पम्प-सेटों के संचालन के लिए कम से कम नियंत्रित ढंग से बिजली उपलब्ध करायी जा सके । इस आलोक में इन परियोजनाओं के तत्काल पुनरीक्षित करने की आवश्यकता है ।

बिहार में कृषि बाजार अधिनियम को निरस्त कर दिया गया है । इससे सीधा विपणन और निजी तथा सहकारी क्षेत्रों में बाजारों की स्थापना करने की प्रतिनिधियों को बढ़ावा मिलेगा । निजी क्षेत्रों द्वारा कृषि उत्पादों की मार्केटिंग और प्रसंस्करण में काफी दिलचस्पी दिखलाई जा रही है । मार्केटिंग के संबंध में उप समिति द्वारा दिये गये सभी सुझाव ए० पी० एम० सी० एक्ट की परिधि में आते हैं । जहाँ तक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मिंग का संबंध है हम समिति के सुझावों से पूर्णतः सहमत है कि कॉन्ट्रैक्ट की प्रक्रिया में भूमि के स्वामित्व पर कोई खतरा नहीं होना चाहिए । विवादों को सुलझाने

के लिए नये परिनियमों को लागू करने पर तभी विचार किया जाना चाहिए जब वर्त्तमान कानून अपर्याप्त हों । हमारा यह अनुभव है कि कृषि क्षेत्र में नये-नये परिनियम लागू करने से किसानों को नुकसान ही होता है ।

देश में कृषि उत्पादन को और बढ़ावा देने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अधिप्राप्ति अत्यन्त महत्वपूर्ण है । इनपुट की कीमतों और खेती की लागत में बढ़ोत्तरी को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य की पूरी अवधारणा को ही बदलने की जरुरत है । अब समय आ गया है कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की बजाय लाभदायक मूल्य आश्वस्त किया जाय ।

राष्ट्रीय विकास परिषद् की उप समिति द्वारा ऋण प्राप्ति की व्यवस्था सुधारने के संबंध में की गयी अनुशंसाओं पर गौर करने की जरुरत है । जिला स्तर पर ऋण सेटलमेंट फोरम जो न केवल किसानों और बैंकों के बीच बल्कि महाजनों के साथ होने वाले विवादों को सुलझाये, का सुझाव लघु और सीमांत कृषकों की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा । सहकारी ऋण संरचना और विशेषकर वैद्यनाथन कमिटि रिपोर्ट को लागू करने संबंधी सुझावों का भी हम स्वागत करते हैं । वैद्यनाथन कमिटि रिपोर्ट को लागू करने के लिए बिहार ने नाबार्ड के साथ एक एम० ओ० यू० किया है ।

बिहार के अधिकांश किसान सीमांत और लघु श्रेणी के हैं जिनकी ऋण प्राप्ति क्षमता अत्यन्त कम है । गरीब किसानों के लिए सहकारी समितियाँ ऋण की एक मात्र साधन है इसलिए नाबार्ड द्वारा बिहार और ऐसे अन्य राज्यों के लिए

पुनर्वित्तपोषण की शर्त्तों को शिथिल किया जाना चाहिए । भारत सरकार को पैक्स के माध्यम से किये जाने वाले लघु बचत की बीमा के लिए वित्तीय सहायता देने पर विचार करना चाहिए । व्यवसायिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से पैक्स को वित्तीय सहायता का प्रावधान करने पर भी विचार किया जा सकता है ताकि केन्द्रीय सहकारी बैंकों के रुग्ण होने और पुनर्वित्तपोषण न कर पाने की स्थिति में होने पर भी बिना व्यवधान के निधि का प्रवाह जारी रहे ।

किसानों के द्वारा आधुनिक फसल टेक्नोलॉजी के अपनाये जाने के लिए जोखिम का प्रबंधन अत्यन्त महत्वपूर्ण है । उप समिति की अनुशंसा है कि सरकार की सब्सिडी से आच्छादित फसल बीमा योजना में अधिक जोखिम वाली फसलों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए । इस पर पुनर्विचार की जरुरत है क्योंकि इससे फसल के विविधीकरण में बाधा उत्पन्न होगी । केन्द्र सरकार को देश में बीमा के प्रशासन के सुदृढ़ीकरण के लिए उदारतापूर्वक सहायता देनी चाहिए । चूँकि देश के विभिन्न क्षेत्रों में बिचड़ा करने, रोपनी करने और फसल की कटाई के समय में काफी विविधता है इसलिए हर क्षेत्र और राज्य के लिए अलग बीमा प्रोडक्ट विकसित करना ज्यादा लाभदायक होगा ।

ग्रामीण निर्धनों की आय को बढ़ाने में डेयरी, मत्स्य पालन और मुर्गी पालन प्रक्षेत्र के महत्व को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने उनके पुनर्जीविकरण हेतु कई कदम उठाये हैं । इस क्रम में हमने इन क्षेत्रों में कम से कम एक राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण संस्थान की आवश्यकता महसूस की है इसके अलावा पूर्वी क्षेत्र में अलग से बीज जाँच और फीड अनुशंधान विकास प्रयोगशाला की भी आवश्यकता है ।

कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और वृद्धिकरण बढ़ाने के लिए एक सुविचारित भूमि नीति अत्यन्त महत्वपूर्ण है । लेकिन इस दिशा में हमें बहुत सावधानी से आगे बढ़ने की जरुरत है और हर राज्य को भू-स्वामित्व संरचना और अन्य कारकों को ध्यान में रखकर अपनी नीति तय करनी होगी । अलिखित लीजों की व्यवस्था उत्पादन और उत्पादकता दोनों के लिए ठीक नहीं है । कानून ऐसे होने चाहिए जिससे भू-स्वामियों को भूमि पर हक खोने का भय न रहे पर साथ ही यह भी सुनिश्चित हो कि लीजधारी को मनमाने ढंग से हटाया न जा सके । हमने भूमि सुधार आयोग का गठन किया है जो कृषि के उद्देश्य से भूमि के लीज की व्यवस्था का नियमन के लिए कानूनी उपायों पर अपना सुझाव दे । जिस दृष्टि से समिति द्वारा भूमि के लीज को कानूनी रुप देने, होल्डिंग का आकार निर्धारित करने, ग्राम पंचायत के स्तर पर उनका अभिलेखीकरण करने और अनुमानित उत्पादन को बंधक रखकर लीजधारी द्वारा ऋण प्राप्त करने, महिलाओं और स्व सहायता समूहों द्वारा समूह में लीज प्राप्त करने के संबंध में की गयी अनुशंसायें स्वीकार करने योग्य हैं और उन्हें लागू करने पर विचार किया जाना चाहिए ।

संक्षेप में, हम राष्ट्रीय विकास परिषद् की उप समिति द्वारा सार्वजनिक निवेश बढ़ाने और क्षेत्रीय असंतुलन का निराकरण करने संबंधी सुझावों का स्वागत करते हैं परन्तु कई स्थानों पर उप समिति के प्रतिवेदन में इस आशय के सुझाव हैं कि अतिरिक्त वित्तीय बोझ राज्यों द्वारा वहन किया जाय । जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया है बिहार सरकार ने अपने संसाधनों से कृषि के लिए योजना उद्व्यय में अच्छी खासी बढ़ोत्तरी की है । उप समिति के रिपोर्ट में एग्रो क्लाइमेटिक स्थितियों के अनुसार अलग-अलग कार्य योजना बनाने पर बल दिया गया है । इसके लिए

निवेश में कमी, आधारभूत संरचना की आवश्यकता और विकास की क्षमता को ध्यान में रखते हुए वित्तपोषण की आवश्यकता होगी परन्तु उप समिति द्वारा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के माध्यम से इसके निधिकरण संबंधी अनुशंसा को लागू करने से क्षेत्रीय विषमताओं का निराकरण करना संभव नहीं होगा । अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता सामान्यत: कई शर्त्तों के साथ होती है और इससे राज्यों द्वारा निधि की निकासी में विकृति आ सकती है । मैं इस पर बल देना चाहूँगा कि कृषि एक राज्य विषय है और इसे वैसा ही रहना चाहिए । राज्य सरकारें अपने उत्तरदायित्व के प्रति पूरी तरह जागरुक हैं इसलिए हमारा अनुरोध होगा कि प्रस्तावित कार्य योजना के आधार पर पाँच वर्षों के लिए निधि की आवश्यकता का आकलन किया जाना चाहिए और उसे राज्य सरकारों को बजटीय सहायता के रुप में स्थानांतरित किया जाना चाहिए ।

जय हिन्द !